

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-415/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 08 मई, 2015 व संख्या-841/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 03 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-फिरोजाबाद की न0पा0प0, सिरसागंज व फिरोजाबाद की 03 परियोजनाओं एवं जनपद-सोनभद्र की निकाय-राबर्टसगंज, दुद्धी व घोरावल की 06 परियोजनाओं के (33 कार्यों) अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न निकायों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित कुल 09 परियोजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में प्राविधानित धनराशि से ₹0 338.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 169.375 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-198/69-1-2014-01(बजट)/2014, दिनांक 03 मार्च, 2014 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से जनपद-सोनभद्र की निकाय-राबर्टसगंज, दुद्धी व घोरावल की 05 परियोजनाओं (28 कार्यों) के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 87.705 लाख (रूपये सतासी लाख सत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/

Acct (मौल)  
15/7/15

14/7/15  
6am

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कामों की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रसार करायें जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक देश से उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्त नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं राखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुचारात प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अचलकरने से पूर्व सूझ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आधुनिकीकरणों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्वीकृत को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अचलकरने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना से सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूझ/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओप्रओ, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय सेजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उओ प्रओ शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशोधक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इससे बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।  
संलग्नक : यथोक्त।

भूचदीय,  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-652/2015/1660(1)/69-1-2015 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, ठठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,

(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।


शासनादेश संख्या-652/2015/1660/69-1-2014-01(बजट)/14 दिनांक 13 जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	रावर्टसगंज	वार्ड सं० 06 में धनुषधारी के मकान से रामदुलारे के मकान से होते हुए स्व० रसीद मिस्त्री के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	14.11	7.055
			वार्ड सं० 06 डा० सिंगला के मकान से बचाऊ सोनी के मकान के पास पुलिया तक बड़ी नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	33.59	16.795
			वार्ड नं० 06 में शीतल आईस्क्रीम से होते हुए बेल्ली के मकान होते हुए अम्बिका शुक्ला के मकान व टुनटुन सोनकर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	30.67	15.335
			वार्ड सं० 06 में स्व० लल्लू सोनी के घर के पीछे कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	0.91	0.455
			वार्ड सं० 06 में चन्ने बाई के घर से पप्पू के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.00	0.50
			वार्ड नं० 06 में शब्यु के घर से रसीद मिस्त्री के घर तक नाली निर्माण कार्य।	1.50	0.75
2	सोनभद्र	दुदी	वार्ड सं० 04 में मुहम्मद हुसैन के घर से हसन रजा के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.41	2.205
			वार्ड नं० 11 में जेम्स स्कूल से शहीद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.90	4.45
			वार्ड सं० 11 में अशफाक अहमद के घर से मध्य पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	1.68	0.84
3	सोनभद्र	रावर्टसगंज	वार्ड सं० 10 में जब्बार भाई के घर से सफू (मुन्ना) भाई के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.82	4.91
			वार्ड सं० 10 में डब्लू भाई के घर के पीछे से शमशाद चाय वाली गली तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.74	1.37
			वार्ड सं० 10 में राजू बैटरी वाली गली से मलिन इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	1.33	0.665
			वार्ड सं० 11 में लल्ला सौदागर वाली गली तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	2.53	1.265
			वार्ड सं० 10 में फरीद खान वाली गली में नाली निर्माण कार्य।	3.25	1.625

			वार्ड सं० 10 में सदरा मेडिकल से पूरव तरफ गली में इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	2.02	1.01
4	सोनभद्र	घोरावल	न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 4 में फौजदार के मकान से से कब्रिस्तान होते हुए जाहिर के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.74	2.37
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 4 में सूबेदार के मकान से हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.45	2.225
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 4 में बचनो के मकान से विहारी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य व पुलिया का निर्माण का कार्य।	5.05	2.525
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 4 में गनी खों के मकान के बगल में आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	2.48	1.24
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 4 में असागर के मकान से तुल्ला के मकान होते हुए गनी खों के प्लाट तक नाली का निर्माण कार्य।	5.19	2.595
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 4 में बहाव खों के मकान से गनी खों के प्लाट तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.85	2.425
5	सोनभद्र	घोरावल	न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 8 में घोरावल मीरजापुर रोड से हाफि जी के मकान के पीछे होते हुए राधा देवी के दगीचे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.51	2.255
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 8 थोला के प्लाट से सलीम के मकान तक नाला का निर्माण कार्य।	5.33	2.665
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 8 में उसरहवा बस्ती के पीछे पुलिया के निर्माण का कार्य। (2 नग)	4.77	2.385
			न०पं० घोरावल के वार्ड 8 में राम के मकान से इनागुल के मकान के आगे सडक तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.39	1.695
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 8 में इन्द्रीश के मकान से जाकिर के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.59	2.295
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 8 में सलीम के मकान से मदरसा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.80	2.40
			न०पं० घोरावल के वार्ड नं० 8 में असागर के मकान से बरकत के मकान होते हुए जब्बार के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.30	1.65
योग				175.41	87.705

(रूपये सतासी लाख सत्तर हजार पांच सौ मात्र)

  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।१